(दिल्ली राजपत्र-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)

संख्या:फा 14(13/97-विधायी कार्य/ दिनांक:- 28-1-1998

राष्ट्रपति की दिनांक 21 जनवरी, 1998 को मिली अनुमति के पश्चात विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :-

दिल्ली बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1997

(दिल्ली अधिनियम संख्या:1, 1998)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथा पारित अधिनियम।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा में भारत के गणतंत्र के अड़तालीसवें वर्ष में निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाए:-

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम दिल्ली बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहलाएगा।

(2) यह उपराज्यपाल द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से प्रभावी होगा।

दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2. दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 (इसके बाद मुख्य अधिनियम उल्लिखित होगा) के दीर्घ शीर्षक में शब्द "संघ क्षेत्र" शब्द "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से विस्थापित होंगे। (1975 का केन्द्रीय अधिनियम सं0-43)

धारा 1 का संशोधन

3. मुख्य अधिनियम की धारा (की उप-धारा (2) में शब्द "संघ क्षेत्र" शब्द "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से विस्थापित होंगे।

धारा 2 का संशोधन

4. मुख्य अधिनियम की धारा 2 में, -

(1) खण्ड (क) निम्नलिखित खण्ड द्वारा विस्थापित होगा, अर्थात:-

(क) "उपराज्यपाल का अर्थ है राष्ट्रपति द्वारा संविधान की अनुच्छेद संख्या 239 के अंतर्गत नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का प्रशासक है।

(2) खण्ड (छ) में शब्द "संघ क्षेत्र" शब्द "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से विस्थापित होंगे।

धारा 3 का संशोधन

5. मुख्य अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (7) के परन्तुक में शब्द "प्रशासक" शब्द "उपराज्यपाल" द्वारा विस्थापित होगा।

धारा 4 का संशोधन

6. मुख्य अधिनियम की धारा 4 में, -

(1) उप-धारा (1) में, -

(1) खण्ड (ख) में शब्द "केन्द्रीय सरकार" शब्द "उपराज्यपाल" से विस्थापित होगा।

..2/-

(ii) खण्ड (घ) में, -

(क) पहले परन्तुक में, शब्द" बशर्ते कि प्रशासक, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, और कर सकता है" शब्द "बशर्ते कि उपराज्यपाल" द्वारा विस्थापित होंगे ।

(ख) तीसरे परन्तुक में, शब्द "प्रशासक का यह मत है कि ऐसा करना जनहित में समयोचित है, वह, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, और कर सकता है" शब्द "अगर उपराज्यपाल का यह मत है कि ऐसा करना जनहित में समयोचित है, वह, कर सकता है" द्वारा विस्थापित होंगे ।

(2) उप-धारा (2) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (1) में, शब्द "प्रशासक" शब्द "उपराज्यपाल" द्वारा विस्थापित होगा।

धारा 5 का संशोधन

7. मुख्य अधिनियम की धारा 5 में, शब्द "प्रशासक" जहाँ भी आया है, शब्द" उपराज्यपाल" द्वारा विस्थापित होगा ।

धारा 7 का संशोधन

8. मुख्य अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) में, शब्द" प्रशासक, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से कर सकता है" शब्द "उपराज्यपाल, कर सकता है" द्वारा विस्थापित होंगे ।

धारा 9 का संशोधन

9. मुख्य अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) और (2) में, शब्द "प्रशासक" जहाँ भी आया है, शब्द "उपराज्यपाल" द्वारा विस्थापित होगा ।

धारा 13 का संशोधन

10. मुख्य अधिनियम की धारा 13 में,

(1) उप-धारा (1) से (6) तक में, शब्द "केन्द्रीय सरकार" जहाँ भी आए हों, शब्द" उपराज्यपाल" द्वारा विस्थापित होंगे ,

(2) उप-धारा (1) के परन्तुक में, शब्द "केन्द्रीय विधि सेवा" शब्द "भारतीय विधि सेवा" द्वारा विस्थापित होंगे,

धारा 14 का संशोधन

11. मुख्य अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के दूसरे परन्तुक में, शब्द "प्रशासक" शब्द "उपराज्यपाल" द्वारा विस्थापित होगा ।

धारा 39 का संशोधन

12. मुख्य अधिनियम की धारा 39 के परन्तुक में, शब्द "प्रशासक" शब्द " उपराज्यपाल" द्वारा विस्थापित होगा ।

धारा 60, 63, और 64 का संशोधन	13.	मुख्य अधिनियम की धारा 60, 63 और 64 में, शब्द "प्रशासक" जहाँ भी आया है, शब्द "उपराज्यपाल" द्वारा विस्थापित होगा ।
धारा 66 का संशोधन	14.	मुख्य अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (1) में, शब्द" अगर प्रशासक का यह मत है कि ऐसा करना जनहित में समयोचित है, वह, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, और, कर सकता है"शब्द" अगर उपराज्यपाल का यह मत है कि ऐसा करना जनहित में समयोचित है, वह, कर सकता है" द्वारा विस्थापित होंगे ।
धारा 71 का संशोधन	15.	मुख्य अधिनियम की धारा 71 की उप-धारा (1) में, शब्द "प्रशासक "शब्द उपराज्यपाल द्वारा विस्थापित होगा।
धारा 72 का संशोधन	16.	मुख्य अधिनियम की धारा 72 निम्नलिखित धारा द्वारा विस्थापित होगी, अर्थात्:-

"72. नियमों को विधानसभा में रखा जाएगा, - इस अधिनियम के अंतर्गत बने नियम, बनाने के बाद शीघ्र अति शीघ्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के पटल पर, जब वह सत्र में है, तीस दिनों के लिए रखे जाएँगे, जो कि एक, दो यह अधिक सत्रों में हो सकते हैंऔर अगर, उस सत्र के सत्रों के बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले यदि सभा उस नियम में कोई संशोधन करने को सहमत हो या सभा सहमत हो कि यह नियम नहीं बनना चाहिए, नियम उस संशोधित रूप में ही प्रभावी होगा या प्रभावी होनहीं होगा, जैसा भी मामला हो, किन्तु ऐसा संशोधन या निरस्त्रीकरण उस नियम के अंतर्गत पहले किए गये कार्यों की वैद्यता को प्रभावित नहीं करेगा ।

(आर. सी. एस. [illegible])
अवर सचिव (विधायी) कार्य विभाग

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAERS)
5-SHAM NATH MARG DELHI.

No. F.18(1)/98-LAD- Dated:28.1.98.

The following Act of the Legislative Assembly received the assent of the President on 21.1.98 and is hereby published for general information.

The Delhi Sales Tax (Amendment) Act, 1997
(Delhi Act No.1 of 1998)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi)

AN

ACT

further to amend the Delhi Sales Tax Act, 1975

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

Short Title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Delhi Sales Tax (Amendment) Act, 1997.

(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may, by notification in the official Gazette, appoint.

Amendment of long title.

2. In the Delhi Sales Tax Act, 1975 (Central Act No. 43 of 1975) (hereinafter referred to as the principal Act), in the long title, for the words "Union Territory", the words "National Capital Territory" shall be substituted.

Amendment of Section 1.

3. In section 1 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "Union Territory", the words "National Capital Territory" shall be substituted.

Amendment of Section 2.

4. In section 2 of the principal Act-

(1) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :-

(a) "Lieutenant Governor" means the Administrator of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution".

DVS

(2) In clause (f), for the words "Union Territory", the words "National Capital Territory" shall be substituted.

Amendment of Section 3.

5. In section 3 of the principal Act, in sub-section (7), in the proviso, for the word "Administrator", the words "Lieutenant Governor" shall be substituted.

Amendment of Section 4.

6. In section 4 of the principal Act-

(1) In sub-section (1), -

(i) in clause (b), for the words "Central Government", the words "Lieutenant Governor" shall be substituted.

(ii) in clause (d), -

(a) in the first proviso, for the words "Provided that the Administrator may with the previous approval of the Central Government and", the words "Provided that the Lieutenant Governor" shall be substituted.

(b) in the third proviso, for the words "the Administrator is of the opinion that it is expedient in the interest of general public so to do, he may, with the previous approval of the Central Govt. and", the words "if the Lieutenant Governor is of the opinion that it is expedient in the interest of the general public so to do, he may," shall be substituted.

DVS

(2) In sub-section (2), in sub-clause (i) of clause (a), for the word "Administrator", the words "Lieutenant Governor" shall be substituted.

Amendment of Section 5.

7. In Section 5 of the Principal Act, for the word "Administrator" wherever it occurs, the words "Lieutenant Governor" shall be substituted.

Amendment of Section 7.

8. In Section 7 of the Principal Act, in sub-section (2) for the words "The Administrator may, with the previous approval of the Central Government and", the words, "The Lieutenant Governor may" shall be substituted.

Amendment of Section 9.

9. In Section 9 of the Principal Act, in sub-section (1) and (2), for the word "Administrator", wherever it occurs, the words "Lieutenant Governor" shall be substituted.

Amendment of Section 13.

10. In section 13 of the Principal Act. -

(1) In sub-section (1) to (6), the words "Central Government", wherever it occurs, the words Lieutenant Governor" shall be substituted.

(2) In proviso to sub-section (1), for the words "Central Legal Service", the words "Indian Legal Service" shall be substituted.

Amendment of Section 14.

11. In section 14 of the Principal Act, in sub-section (3), in the second proviso, for the word "Administrator", the words "Lieutenant Governor" shall be substituted.

DVS

Amendment of Section 39.

12. In section 39 of the principal Act, in the proviso, for the word "Administrator", the words "Lieutenant Governor" shall be substituted.

Amendment of Section 60, 63 and 64.

13. In Sections 60, 63 and 64 of the principal Act, for the word "Administrator", wherever it occurs, the words "Lieutenant Governor" shall be substituted.

Amendment of Section 66.

14. In section 66 of the Principal Act, in sub-section (1), for the words "if the Administrator is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, he may, with the previous approval of the Central Government", the words "if the Lieutenant Governor is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, he may" shall be substituted

Amendment of Section 71.

15. In section 71 of the Principal Act, in sub-section (1), for the word "Administrator", the words "Lieutenant Governor" shall be substituted.

Amendment of Section 72.

16. For section 72 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :

"72 Rules to be laid before Legislative Assembly, - Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or the House

DVS

agrees that the rule should not be made, the rule shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.".

(R.T.L. D'SOUZA)
UNDER SECRETARY (L.A.)